फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय सरकार बनाम बाबूलाल
केस संख्या 44/2006

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू–राजस्व अधिनियम बाबत आवंटन निरस्त कराने

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विव
	22.3.17	पत्रावली पेश हुयी । उभय पक्ष उपस्थित/प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, कोटपूतली) द्वारा रिकॉर्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी । उभयपक्षों को सुना गया । पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, कोटपूतली) ने अपने प्रकरण में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए निवेदन किया कि आराजी विवादास्पद साबिक आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 4 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 01, बाबूलाल पुत्र सोहन जाति चमार निवासी गोनेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27/02/1976 को आवंटन की गयी थी । परन्तु आवंटीन द्वारा उसको अलाटमैन्ट की गयी भूमि को कभी काबिज होकर काश्त नहीं की । जबकि भू–आवंटन नियमों के अनुसरण में आवंटन की गयी भूमि को तीन वर्ष में काबिज काश्त की जाना आवश्यक है। आवंटन नियमों की पालना नहीं होने के कारण आवंटी के हक में गैर खातेदारी/खातेदारी स्वीकार नहीं की जा सकने के कारण उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जा सका। यानि आवंटन स्वतः ही निरस्त हो गया । तत्पश्चात् उक्त आराजीयात् के मौके पर खाली होने तथा राजस्व अभिलेख में राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज होने के कारण दिनांक 01/01/1993 को राजस्थान ओद्यौगिक विकास ~~नियम~~ (रीको) को आवंटित कर दी गयी एवं राजस्व अभिलेख में भी उक्त विवादित आराजीयात तरतीवी अप्रार्भी संख्या 02 के नाम दर्ज कर दी गयी । आज भी उक्त आराजीयात पर आवंटी अप्रार्थी संख्या का कोई कब्जा काश्त नहीं है, बल्कि तरतीव अप्रार्थी संख्या का ही रिकॉर्ड में नाम दर्ज है तथा कब्जा है, जो मौका रिपोर्ट दिनांक 10/02/2017 अतः अपील से भी प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी के हक है, में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 निरस्त करवाया जावें । योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक ने अपने जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए पैरोकार सरकार के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि आवंटी को आवंटन के पश्चात् आवंटन की गयी भूमि का कब्जा के पश्चात् लगातार काबिज काश्त है। अप्रार्थी ने कोई अवहेलना नहीं की है। बन्दोबस्त की कार्यवाही चालू होने की वजह से राजस्व अभिलेख बन्दोबस्त विभाग में चला गया ओर इसके बाद सन् 1980 में यह ग्राम तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में सम्मिलित हो जाने के कारण रिकॉर्ड में नहीं हो पाया, बल्कि सिवायचक ही दर्ज रह गयी ओर अप्रार्थी की कृषि की कब्जे काश्त की कृषि भूमि को सिवायचक मानकर रीको को बेच दी गयी । अप्रार्थी को आराजी विवादास्पद के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करने का पूर्ण दायित्व स्वयं प्रार्थी का था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया । प्रार्थी (लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपूतली) की गलती की सजा अप्रार्थी (आवंटी) को नहीं दी जा सकती । कानूनी रूप से भी अब 30 साल के अन्तराल के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता । अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गयी भूमि से अप्रार्थी अलाटी को आवंटित की गयी भमि से बिना बेदखल किये एवं विधिवत किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 को निरस्त किये बिने तथा अप्रार्थी को नोटिस एवं सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही उसकी पीठ पीछे से तरतीवी अप्रार्थी रिको को पुनः किया गया आवंटन आदेश पूर्णतया न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत गैर कानूनी एवं अप्रासंगिक होने अप्रार्थी(आवंटी) के हक हकूकों के प्रति शून्य एवं बेअसर है। अतः अपील	

अपीलान्ट मियाद बाहर होने तथा सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः मय दर्जे खर्चे के साथ अपील अपीलान्ट निरस्त की जावें ।

विद्वान अधिवक्ता तरतीबी अप्रार्थी संख्या 02 ने भी अपनी बहस में अपने जवाब में वर्णित अभिकथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 को ओद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम केशवाना गुर्जर तहसील कोटपूतली में दिनांक 01 जनवरी 1993 को कुल रकबा 178.42 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया था, जिसमें प्रश्नगत प्रकरण में वर्णित आराजी विवादास्पद ख.नं. 32/22.00 बंजड भी सम्मिलित है। तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 रीको को आवंटन की गयी उक्त समस्त भूमि की प्रीमियम राशि रूपये 12698932 /- का तहसीलदार कोटपूतली को दिनांक 16/8/1994 को भुगतान करने पर उनके द्वारा दिनांक 15/9/1994 को उक्त भूमि का भौतिक रूप से कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 रीको को सम्भलवा दिया गया । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 3377/2005 में पारित निर्णय दिनांक 05/5/2006 की पालना में कथित आवंटी/अतिकमियों के कुंऐ संरचनाएं इत्यादि के मुआवजे की राशि रू. 506674 /- का भुगतान भी चैक संख्या 321763 दिनांक 30/6/2006 को सम्बन्धित हितबद्व व्यक्तियों को किया जावें, के लिए उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली में जमा करवा दिया गया है। अब अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त आराजीयात् से कोई तालुक वास्ता नहीं है। मौके पर तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 रीको को भौतिक रूप से कब्जा है, जो रिकॉर्ड व मौके की स्थिति से भी प्रमाणित है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 के हक में किया गया भू-आवंटन आदेश तरतीबी अप्रार्थी संख्या 02 के हक हकूकों के प्रति शून्य एवं बेअसर होने निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया तथा पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया । विवादित साबिक आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 4 बीघा वाके मौजा केशवाना गुर्जर अप्रार्थी संख्या 01 बाबूलाल पुत्र सोहन जाति चमार निवासी नांगल चेचीका तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को आवंटन होना नकल भू-आवंटन सलाहकार समिति आदेश दिनांक 27/2/1976 से सिद्व होता है। परन्तु उक्त आवंटन आदेशों की शर्तों की पालना की जाने के सम्बन्ध में आवंटी अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से कोई रिकॉर्ड साहदत प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा ना ही उक्त विवादित आराजीयात् पर अपने भौतिक रूप से कब्जे काश्त को साबित करवाया है। राजस्व अभिलेख में भी अलाटी अप्रार्थी संख्या 01 के नाम गैर खातेदारी/खातेदारी दर्ज नहीं प्रकट होती है। नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 10/2/2017 से भी आराजी विवादास्पद प्रार्थी संख्या 1 के बजाय तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना तथा उन्ही का भौतिक रूप से कब्जा होना जाहिर होता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किया गया आक्षेपित भू आवटंन आदेश मात्र एक कागजी अलाटमैन्ट होने से स्वतः ही खारिज योग्य है। दूसरी ओर उक्त आराजी विवादास्पद मौके पर खाली होने तथा राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज होने की वजह से तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 के हक में अलाटमैन्ट की गयी है तथा नियमानुसार प्रीमियम की राशि जमा करवाने के बाद उन्हें भौतिक रूप से मौके पर कब्जा सम्भलाया गया है तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज किया गया है, जो आज भी बदस्तुर मौजूद है। ऐसी परिस्थिती में अलाटी अप्रार्थी संख्या 01 के उक्त आराजी विवाद ग्रस्त में कोई हक हकूक खातेदारी उत्पन्न नहीं होते है।

फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र/अपील अन्तर्गत दफा 14(4) भू राजस्व अधिनियम स्वीकार की जाकर ग्राम केशवाना ~~राजपूत~~ गुर्जर में स्थित साबिक आ.ख.नं. 25 से बरामद हुये हाल खसरा नम्बर 32 रकबा 22 हैक्टर में से अप्रार्थी संख्या 01 के हक में अलाटमैन्ट किये गये रकबे की सीमा तक के भू आवंटन सलाहकार समिति का भूमि आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.3.17 को लिखवाया जाकर सरे इजलास